

न्यायालय - मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, ताजुल मसाजिद के पास - भोपाल

प्रकरण क्रमांक

कारण बताओ नोटिस

(वक्फ एक्ट 1995 की धारा 54 के अन्तर्गत)

प्रति,

.....
.....
.....

इस कार्यालय को वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण रजिस्टर / स्थानीय व्यक्तियों वक्फ कमेटी / मुतवल्ली / वक्फ इन्स्पेक्टर / कर्मचारी से सूचना प्राप्त हुई है कि आपने वक्फ संपत्ति (संपत्ति का विवरण) :-

भवन :- प्लाट / दुकान / कृषि भूमि / छत

भूमि खसरा नम्बर :-

रकबा :-

ग्राम :-

तहसील :-

जिला :-

में स्थित वक्फ संपत्ति पर अप्राधिकृत कब्जा कर लिया है और वर्तमान में उक्त संपत्ति पर आपका अनाधिकृत अधिपत्य है। रजिस्टर रजिस्ट्रेशन राजपत्र की अधिसूचना क्रमांक एवं वक्फ सर्वेक्षण पंजी के अनुसार उक्त संपत्ति वक्फ संपत्ति है।

अतएव आपसे एतद् द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि तारीख/..... की बजे इस कार्यालय में स्वयं उप-संजात होकर कारण दर्शाये कि उक्त वक्फ भूमि पर से आपका अनाधिकृत कब्जा हटाने के आदेश क्यों न पारित किया जाये तथा क्षतिपूर्ति मुआवजा क्यों न निर्धारित किया जाए।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

प्रतिनिधि :-

1. आयुक्त / मुख्य नगर पालिका अधिकारी / नगर निगम / तहसीलदार नगर पालिका निगम..... जिला की ओर सूचनार्थ। कृपया अनाधिकृत अधिपत्य नगर निगम/नगर पालिका MPLRC-59 एक्ट के सुसंगत उप-बन्धित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का अनुरोध है।

2. श्री मुतवल्ली / अध्यक्ष प्रबंध समिति वक्फ ग्राम / नगर तहसील जिला की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। कृपया नियत तिथि पर समस्त दस्तावेजी साक्ष्य व अभिलेख सहित उपस्थित हों।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल